



रजि. नं. 1231/2011

www.aarakshanmanch.com, E-mail: aarakshanmanch@gmail.com

# अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान

डॉ. अम्बेडकर भवन, 13-14, झालाना इंगरी, जयपुर (राज.)

**मा. भंवरलाल मेघवाल**  
(माननीय मंत्री राज. सरकार)  
संरक्षक

**यादराम मीणा**  
(पूर्व मुख्य न्यायाधीश)  
संरक्षक

**जे.पी.विमल (IAS Retd.)**  
अध्यक्ष  
मो. 9414027400

**अनिल गोठवाल (RPS Retd.)**  
वरिष्ठ उपाध्यक्ष  
मो. 9414248454

**ई. आशाराम मीणा**  
महासचिव  
मो. 9413380388

**उपाध्यक्ष:**

बी.एल. बैरवा  
राजपाल मीणा  
अशोक सामरिया  
जे.के. महरडा  
हनुमान सिरसी  
हरसहाय मीणा  
भैरूलाल मीणा

**कोषाध्यक्ष:**

अशोक मीणा

**सचिव:**

प्रभुलाल बैरवा

**संयुक्त सचिव:**

एस.के. बैरवा  
श्रीमती अंजूरानी क्यारडिया  
गणपति लाल  
भगवान सिंह

**संगठन सचिव:**

रामचरण महावर  
कचरतार सिंह  
प्रकाश डगला  
लक्ष्मीनारायण वर्मा  
नरेन्द्र अवस्थी  
रामरूप मीणा  
रविन्द्र जाटव

**विधि प्रकोष्ठ:**

जी.एस. सोमावल  
सतीश कुमार  
सतपाल चांदोलिया  
बाबूलाल बैरवा  
आर.डी. मीणा  
रमेश विमल

**महिला प्रकोष्ठ:**

श्रीमती गोमा सागर  
श्रीमती अलका वर्मा

**प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ:**

रणजीत जाटव  
सत्यनारायण जलुधरिया  
सुदटन लाल मीणा

**संभागीय कोऑर्डिनेटर:**

बी.एल. भाटी (जोधपुर)  
चेतराम रामपुरिया (अजमेर)  
शैलेन्द्र चौहान (उदयपुर)  
मनोहर लाल मीणा (कोटा)  
कचरण सिंह जाटव (भरतपुर)  
पी.एल. बुटोलिया (जयपुर)

क्रमांक.....

दिनांक : 07/01/2021.....

आदरणीय अशोक गहलोत जी,  
माननीय मुख्यमंत्री,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय:- रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम में जारी तीसरी सूची में आरक्षण की पालना करवाने बाबत।

महोदय,

आपका ध्यान अनुसूचित जाति/ जनजाति आरक्षण मंच को प्राप्त परिवेदना पर आकृष्ट कर निवेदन है कि रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम में 30.12.2020 को जारी तीसरी सूची में आरक्षण की घोर अवहेलना की गई है। उक्त भर्ती में अनुपस्थित व अपात्र अभ्यर्थियों पर नियमानुसार रिशफल परिणाम जारी करना था तथा जिसमें आरक्षण की पूर्ण पालना की जानी थी। राजुराम बनाम राजस्थान सरकार S.B.सिविल रिट संख्या-7215/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था कि अनुपस्थित व अपात्र रिक्तियों के लिए रिशफल परिणाम जारी होगा तथा इस रिशफल परिणाम में आरक्षण की पूर्ण पालना की जाएगी, जबकि जटाशंकर केस में यह हवाला दिया गया था कि दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् नियुक्ति नहीं पाने वालों पर वेटिंग लिस्ट/प्रतीक्षा सूची जारी करनी होगी।

रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम तीसरी सूची में 894 पद में से करीब 600 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे थे जो की अनुपस्थित रहे उनको अपात्र मानकर रिशफल परिणाम जारी किया जाना चाहिये था मगर विभाग ने संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था की अनदेखी करके वेटिंग लिस्ट/प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गयी। कुलदीप कुमार बनाम राजस्थान सरकार, S.B. सिविल रिट संख्या-2094/2019 में न्यायालय ने भूषण कुमार पंडया केस का हवाला देते हुए यह कहा कि अनारक्षित वर्ग में समान अंक रखने वाले सभी अभ्यर्थियों (एससी/एसटी/ओबीसी) को शामिल किया जायेगा इसके बाद आरक्षण की नियमानुसार पालना की जाये। जबकि तीसरी सूची जारी की गयी है उससे 71.33 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समान्य श्रेणी में नहीं रखकर उनकी मूल कैटेगरी आरक्षित में ही रखा गया है।

रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम में 30.12.2020 को जारी तीसरी सूची में अनुसूचित जाति के एक भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है व अन्य पिछड़ा वर्ग के मात्र 17 महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया है जबकि तीसरी सूची में लगभग 120 एससी, 70 एसटी तथा 300 के लगभग ओबीसी के अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिये था। इस प्रकार शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा आरक्षण के नियमों की पूर्ण अवहेलना कर तृतीय प्रतीक्षा सूचित जारी की गयी है।

महोदय, हम आपके ध्यान में यह भी लाना चाहते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा अन्य विभागों द्वारा भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी की जाती है उसमें इस प्रकार की गहवडियां



रजि. नं. 1231/2011

www.aarakshanmanch.com, E-mail: aarakshanmanch@gmail.com

# अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान

डॉ. अम्बेडकर भवन, 13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.)

**मा. भंवरलाल मेघवाल**  
(माननीय मंत्री राज. सरकार)  
संरक्षक

**यादराम मीणा**  
(पूर्व मुख्य न्यायाधीश)  
संरक्षक

**जे.पी.विमल (IAS Retd.)**  
अध्यक्ष  
मो. 9414027400

**अनिल गोठवाल (RPS Retd.)**  
वरिष्ठ उपाध्यक्ष  
मो. 9414248454

**ई. आशाराम मीणा**  
महासचिव  
मो. 9413380388

**उपाध्यक्ष:**

बी.एल. बैरवा  
राजपाल मीणा  
अशोक सामरिया  
जे.के. महरडा  
हनुमान सिरसी  
हरसहाय मीणा  
भैरूलाल मीणा

**कोषाध्यक्ष:**

अशोक मीणा

**सचिव:**

प्रभुलाल बैरवा

**संयुक्त सचिव:**

एस.के. बैरवा  
श्रीमती अंजूरानी कराडिया  
गणपति लाल  
भगवान सिंह

**संगठन सचिव:**

रामचरण महावर  
करतार सिंह  
प्रकाश डगला  
लक्ष्मीनारायण वर्मा  
नरेन्द्र अवस्थी  
रामरूप मीणा  
रविन्द्र जाटव

**विधि प्रकोष्ठ:**

जी.एस. सोमावत  
सतीश कुमार  
सतपाल चांदोलिया  
बाबूलाल बैरवा  
आर.डी. मीणा  
रमेश विमल

**महिला प्रकोष्ठ:**

श्रीमती गोमा सागर  
श्रीमती अलका वर्मा

**प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ:**

रणजीत जाटव  
सत्यनारायण जलुधरिया  
छुट्टन लाल मीणा

**संभागीय कोर्डिनेटर:**

बी.एल. भाटी (जोधपुर)  
चेतराम रामपुरिया (अजमेर)  
शैलेन्द्र चौहान (उदयपुर)  
मनोहर लाल मीणा (कोटा)  
करण सिंह जाटव (भरतपुर)  
पी.एल. बुटोलिया (जयपुर)

क्रमांक.....

दिनांक : 7/01/2021.....

होती रहीं हैं। अधिकारियों व सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उपरांत भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है इस को लेकर अनुसूचित जाति/ जनजाति में पिछड़े वर्ग के युवा अभ्यर्थियों में भारी रोष व्याप्त है। इसी प्रकार अधिकारियों द्वारा आरक्षण की पालना में भारी गड़बड़ी की जाती है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

आपसे निवेदन है कि रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम में जारी तीसरी सूची में आरक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाये तथा उक्त सूची को संशोधित कर पुनः जारी कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करें।

यदि इस सूची को आरक्षण की पालना कर संशोधित नहीं किया जाता है तो अनुसूचित जाति /जनजाति व ओबीसी के द्वारा प्रदेश व्यापी आन्दोलन किया जायेगा क्योंकि हमारे युवा वर्ग के हितों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है जो किसी भी स्थिति में सहनीय नहीं है।

भवदीय

(ई. आशाराम मीणा)  
महासचिव

(जे.पी.विमल)  
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा ओबीसी के माननीय विधायकों को भेज कर निवेदन है कि आरक्षण के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा उपरोक्त जापन में वर्णना अनुसार गड़बड़ी कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है कृपया उक्त मामले को माननीय मुख्यमंत्री व राजस्थान सरकार के ध्यान में लाकर आरक्षण की पालना करवाने का श्रम करें ताकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके।

भवदीय

(ई. आशाराम मीणा)  
महासचिव

(जे.पी.विमल)  
अध्यक्ष